रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 588] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 1997/आश्विन 25, 1919
No. 588] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 1997/ASVINA 25, 1919

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1997

का. आ. 731 (अ).—जबकि भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय को दिनांक 17-10-95 की भा. का. आ. 841 (अ) द्वारा पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश माननीय न्यायमूर्ति एस. के. मुखर्जी, 1, ग्रांड ट्रंक रोड, लूकेरगंज, इलाहाबाद-1 (उ. प्र.) को 26 व 27 सितम्बर, 1995 को बिहार राज्य के धनबाद जिले में विशेषकर गजलीटांड, बेरा, कतरास चोइटुडीह और दक्षिण गोविंदपुर में भारत कोकिंग कोल लि. की कोयला खादानों में घटी दुर्घटना, जिसमें मानव जीवन की क्षति हुई थी, के कारणों और परिस्थितियों की औपचारिक जांच करने और तीन माह की अवधि के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। और जबकि दिनांक 19-1-94 की अधिसूचना संख्या का. आ. 57 (अ) तथा सं. का. आ. 508 (अ) दिनांक 17-7-96 और का. आ. सं. 37 (अ) दिनांक 17-1-97 द्वारा तीन बार जांच न्यायालय की अवधि प्रत्येक बार क्रमशः छः माह के लिए और अधिसूचना सं. का. आ. 504(अ) दिनांक 17-7-97 से तीन माह के लिए बढ़ा दी गई थी।

और जबकि यह आवश्यक हो गया कि जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाया जाये।

अतः अब केन्द्रीय सरकार इस अवधि को दिनांक 17-10-97 से और तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाती है, और तद्नुसार जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायमूर्ति एस. के. मुखर्जी की नियुक्ति की अवधि और प्रो. बी. के. मजूमदार, प्रोफेसर आफ माइनिंग, इन्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद-826 004 (बिहार) तथा श्री राजिन्द्र प्रसाद सिंह, महासचिव, राष्ट्रीय मजदूर संघ, धोरी एरिया, 5 छज्जू बाग, पटना-800001 की असेसर के रूप में नियुक्ति की अवधि भी 17-10-97 से और तीन माह के लिए बढ़ाई जाती है।

[फा. सं. एन-11015/1/95-आई. एस. एच-II]

आर. के. सैनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABNOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1997

S.O. 731 (E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Labour in their notification No. S.O. 841(E) dated 17-10-95 appointed Hon'ble Justice S.K. Mookerji, 1, Grand Trunk Road, Lukergani, Allahabad-1 (Uttar Pradesh), formerly Judge of the Patna High Court to hold a formal inquiry into the causes and circumstances of the accidents that occurred in the collieries of Bharat Coking Coal Limited, more particularly in Gaslitand, Bera, Katras, Choitudih and South Gobindpur, in District Dhanbad of Bihar State, on 26th and 27th September, 1995, causing loss of lives and present a report within a period of three months. And whereas the duration of the Court of Inquiry was thrice extended for a further period of six months each vide notification nos. S.O. 57(E) dated 19-1-96, S.O. 508 (E) dated 17-7-96, S.O. 37(E) dated 17-1-97 and once for a period of three months vide notification no. S.O. 504(E) dated 17-7-97 respectively;

And whereas it has become necessary to further extend the period within which the Inquiry is to be conducted and report presented;

Now, therefore, the Central Government do hereby extend this duration for a further period of three months with effect from 17-10-97 and accordingly the period of appointment of Hon'ble Justice S.K. Mookerji, to conduct the inquiry and present the report and period of appointment of Prof. B.K. Mozumdar, Professor of Mining, Indian School of Mines, Dhanbad-826 004 (Bihar) and of Shri Rajendra Prasad Singh, General Secretary, Rashtriya Mazdoor Sangh, Dhori Area, 5, Chajju Marg, Patna-800 001, as assessors, is also extended for a further period of three months with effect from 17-10-97.

[F.No. N-11015/1/95-IR(H.II)]

R. K. SAINI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997